

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1062/2025

मोहम्मद सादिक

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-2), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रेखा रैगर, नर्सिंग ऑफिसर, जिला चिकित्सालय कुन्हाडी, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025

आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जिला चिकित्सालय कुन्हाडी, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या-5 के स्थान पर किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में विभाग को कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम गलत दर्शाते हुए स्थानान्तरण किया गया है। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम मोह0 शादिक अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का सही नाम मोहम्मद सादिक है। लेकिन विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलौच्य आदेश जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने स्थानान्तरण दिनांक 30.08.2022 (अनुलग्नक-2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी रामगंजमण्डी कोटा से जिला चिकित्सालय, कुन्हाडी कोटा में किया गया था। जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण भी कर

लिया था। उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 600 कि. मी. दूर स्थानान्तरण कर दिया गया है। अपीलार्थी स्वयं हार्ट की बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण अपीलार्थी के दो स्टेन्ट डल चुके हैं। जिसका निरन्तर ईलाज चल रहा है। राजस्थान स्थानान्तरण नीतियों के अन्तर्गत यदि कार्मिक गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट से ग्रसित हो तो उसका स्थानान्तरण नजदीक स्थान पर किया जायेगा। अपीलार्थी के हार्ट के बीमारी के दस्तावेज की प्रति अनुलग्नक-3 पर संलग्न है। अपीलार्थी की बहन भी मुसखबधीर है एवं अपीलार्थी के पिताजी जिनका हार्ट 30 प्रतिशत काम कर रहा है, जिसकी भी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर निर्भर करती है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया है (अनुलग्नक-4 एवं 5)। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को जिला चिकित्सालय कुन्हाडी, कोटा से महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में किया गया है। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम मोह0 शादिक अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का सही नाम मोहम्मद सादिक है। ऐसी स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि

निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य